

21/1/25 पत्रावली वादी की और से प्रार्थना पत्र मिसल
तलबी के साथ वाफपत्र विद्वा किमे जाने का
पेश होने पर आज तलब की गयी। वाफपत्र कि
किमे जाने पर वादी ने निवेदन किया कि
लोक अदालत की भावना से डेरित होकर आपसी
समझौते से राजीनामा हो गया है। प्रकरण में आगे
कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः मेरा वाफपत्र
विद्वा कर खारिज करमाया जावे। विद्वा वाबत
वादी ने अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर किमे।
प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया
गया। वादी के निवेदन पर वादी का वाफपत्र कि
की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है।
वली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दफ्तर दाखिल है।

मुकेश चौधरी
21/1/2025

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना